न्यूज़ टुडे

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के शुभारंभ को मंजूरी दी

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) की घोषणा **केंद्रीय बजट, 2024-25** में की गई थी।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) की मुख्य विशेषताएं

- **उद्देश्य:** भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल) परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने तथा संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **लागत:** इस मिशन के अंतर्गत 16,300 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित निवेश भी शामिल है।
- **अन्वेषण:** देश के भीतर और अपतटीय (विदेशी) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण संबंधी गतिविधियों में तेजी लाना।
- **इसमें शामिल हैं:** मूल्य श्रृंखला के सभी चरण- जिनमें खनिज अन्वेषण, खनन, सज्जीकरण (Beneficiation), प्रोसेसिंग, तथा अपनी उपयोग अवधि की समाप्ति के चरण वाले उत्पादों से उपयोगी सामग्री की पुनर्प्राप्ति भी शामिल हैं।
  - सज्जीकरण (Beneficiation): इसके तहत खनिजों से अशुद्धियों को हटाकर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए दिया जाएगा।
- **समन्वय:** संबंधित मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों आदि के साथ।
- **अन्य:** मिनरल प्रोसेसिंग पार्क व उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना; महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण; परियोजनाओं के लिए त्वरित विनियामक अनुमोदन; महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार विकसित करना आदि।

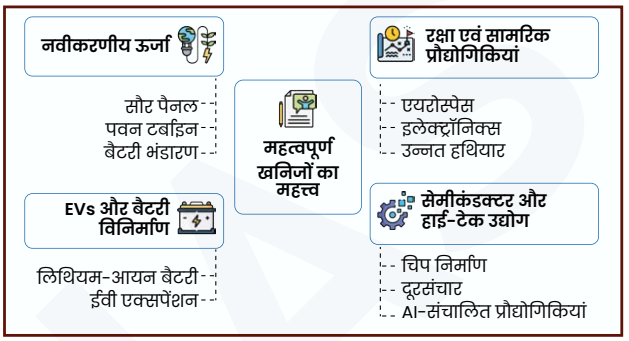

अन्य उपाय

- महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और खनन को बढ़ाने के लिए 2023 में **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** में संशोधन किया गया था।
- 2023 में **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- स्टार्ट-अप्स और MSMEs में अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहन (S&T-PRISM) कार्यक्रम** की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं व्यवसायीकरण के बीच अंतर को समाप्त करते हुए स्टार्ट-अप्स और MSMEs का वित्त-पोषण करना है।

NCMM की आवश्यकता क्यों है?

- महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में **भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात पर अपनी निर्भरता को कम** करना।
- **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा** देना और **क्लीन एनर्जी ट्रांजीशन को सक्षम** बनाना।

महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल) के बारे में

- **महत्वपूर्ण खनिज के बारे में:** खान मंत्रालय के अनुसार आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक खनिज को महत्वपूर्ण खनिज कहा जाता है।
  - इनकी **सीमित उपलब्धता** या केवल कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रोसेसिंग का **संकेन्द्रण आपूर्ति श्रृंखला की सुभेद्यताओं और व्यवधानों** को जन्म दे सकता है।
  - केंद्र सरकार ने देश के लिए **30 महत्वपूर्ण खनिजों** की सूची जारी की है। इनमें **कोबाल्ट, तांबा, जर्मेनियम, लिथियम, टंगस्टन** जैसे कुछ खनिज शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दी

यह संशोधन इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ESY) 2024-25 (नवंबर, 2024- अक्टूबर, 2025) के लिए इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत किया गया है।

- संशोधन के अनुसार, **सी हैवी मोलासेस (CHM) से प्राप्त इथेनॉल की प्रशासित एक्स-मिल कीमत 56.58 रुपये प्रति लीटर** से बढ़ाकर 57.97 रुपये प्रति लीटर तय की गई है।

मूल्य में संशोधन का महत्त्व

- इस मंजूरी से इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं और गन्ना किसानों के लिए **मूल्य स्थिरता एवं लाभकारी मूल्य** प्रदान करने में सुविधा होगी।
- इससे **पर्यावरण को लाभ** होगा और मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए **पर्याप्त इथेनॉल उपलब्धता** सुनिश्चित होगी।

इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के बारे में

- **EBP के बारे में:** तेल विपणन कंपनियों के लिए **20% तक इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल** बेचना अनिवार्य किया गया है।
- **मंत्रालय:** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय।
- **उद्देश्य: वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन** के उपयोग को बढ़ावा देना तथा कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करना एवं कृषि क्षेत्रक को बढ़ावा देना, आदि।
- **संशोधित लक्ष्य: 2025-26** तक पेट्रोल में **20% इथेनॉल** सम्मिश्रित करना। यह लक्ष्य अर्जित करने की समय-सीमा पहले **2030** निर्धारित की गई थी, जिसे बदलकर **2025-26** किया गया है।
- **EBP की प्रमुख उपलब्धियां**
  - **विदेशी मुद्रा की बचत:** पिछले दशक के दौरान (31 दिसंबर, 2024 तक) लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई थी।
  - **तेल विपणन कंपनियों द्वारा मिश्रण में वृद्धि:** तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल सम्मिश्रण ESY **2013-14 में 38 करोड़ लीटर** से बढ़कर ESY 2023-24 में 707 करोड़ लीटर हो गया था। इससे **औसत सम्मिश्रण दर 14.60% प्राप्त** हुई है।

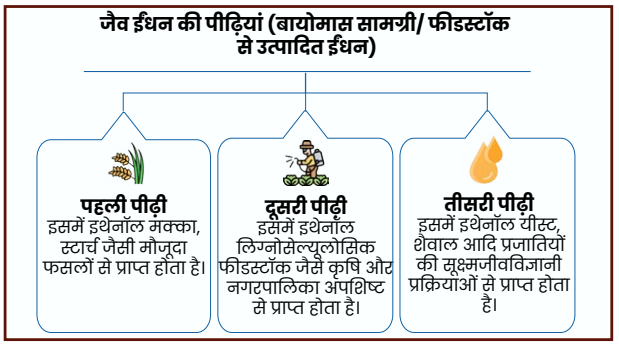

जैव ईंधन (Biofuels) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन-वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना:** इस योजना के तहत लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018:** यह जैव ईंधन को पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ियों के रूप में वर्गीकृत करती है।
- EBP कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर **वस्तु एवं सेवा कर (GST) को घटाकर 5%** किया गया।

चरम जलवायु परिस्थितियां ग्रीनलैंड में मौलिक पारिस्थितिक परिवर्तन का कारण बन रही हैं

प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि चरम मौसम की घटनाओं ने **ग्रीनलैंड की झीलों को कार्बन सिंक से कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े स्रोतों में बदल** दिया है। इससे उत्सर्जन में 350% की वृद्धि हुई है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- **पश्चिमी ग्रीनलैंड की झीलों में बदलाव:** चरम मौसम के कारण 2022 में, **पश्चिमी ग्रीनलैंड में 7,500 से अधिक झीलों के जल का रंग** भूरा हो गया था और ये झीलें कार्बन उत्सर्जित करने लगी थीं। साथ ही, **पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से आर्गेनिक कार्बन** निर्मुक्त होने लगी। इससे ये पर्माफ्रॉस्ट कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जक में बदल गए।
- **कारक: वायुमंडलीय नदियों (Atmospheric rivers) के कारण** 2022 में सामान्य से अधिक तापमान और वर्षा में वृद्धि देखी गई।

वायुमंडलीय नदियां क्या है?

- राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार वायुमंडलीय नदियां आकाश में नदियों की तरह होती हैं। इन्हें '**फ्लाइंग रिवर्स**' भी कहा जाता है। ये वायुमंडल में **अपेक्षाकृत लंबे व संकीर्ण क्षेत्र** होते हैं, जो अधिकांश जल वाष्प को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर ले जाते हैं।
- वायुमंडलीय नदियां **बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात (Extratropical Cyclones) प्रणाली का हिस्सा** हैं।
  वायुमंडलीय नदियां आमतौर पर **बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों** के शीत वाताग्र के आगे निचले वायुमंडल में प्रबल वेग से चलने वाली **जेट स्ट्रीम के क्षेत्र में मौजूद** होती हैं।
- **वायुमंडलीय नदियों के प्रभाव**
  - **वर्षा में भूमिका:** इनसे वर्षा अधिक होती है, लेकिन ये **बाढ़ और गर्मी के खतरे** भी पैदा कर सकती है। इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।
    - उदाहरण के लिए, 1985 और 2020 के बीच **मानसून के मौसम में भारत की 10 सबसे गंभीर बाढ़ों में से 7 वायुमंडलीय नदियों से ही जुड़ी थीं। इनमें 2013 में उत्तराखंड और 2018 में केरल में आई बाढ़** भी शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन का वायुमंडलीय नदियों पर प्रभाव

- **बार बार घटित होना:** ग्लोबल वार्मिंग के कारण सदी के अंत तक **ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया** जैसे क्षेत्रों में वायुमंडलीय नदियों में **50-290% तक की** वृद्धि हो सकती है।
- **दक्षिण एशियाई मानसून:** तापमान में वृद्धि से नमी का संचरण बढ़ेगा। इससे **भारत में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी।**
- **हिंद महासागर का गर्म होना:** समुद्र का गर्म तापमान और **वेपर प्रेशर डेफिसिट (VPD) वाष्पीकरण को बढ़ाता** है। इससे वायुमंडलीय नदियों के निर्मित होने की घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगती है।
- **ध्रुव की ओर विस्थापन:** समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन के कारण वायुमंडलीय नदियां ध्रुवों की ओर **6-10 डिग्री तक खिसक** रही हैं।
- **ला नीना प्रभाव:** ला नीना **वॉकर सर्कुलेशन को मजबूत** करता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा पेटी का विस्तार करता है और वायुमंडलीय नदियों को ध्रुवों की ओर ले जाता है।

केंद्र सरकार ने MSME विनिर्माण क्षेत्रक के लिए 'पारस्परिक ऋण गारंटी योजना' को मंजूरी दी

हाल ही में, भारत सरकार ने '**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना (MCGS-MSME)**' को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, **राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)** सदस्य ऋणदाता संस्थानों (MLIs) को उनके ऋण पर **60% तक की गारंटी कवरेज** प्रदान करेगी।

- सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) वास्तव में **पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के तहत NCGTC के पास पंजीकृत वित्तीय संस्थान** हैं। इनमें **वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)** आदि शामिल हैं।

MCGS-MSME के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **ऋण लेने के लिए पात्र आवेदक:** वैध '**उद्यम पंजीकरण संख्या**' धारण करने वाली MSME इकाइयां।
- **ऋण कवरेज:** संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण खरीदने के लिए **प्रति MSME 100 करोड़ रुपये** तक का ऋण।
  - परियोजना की लागत **100 करोड़ रुपये से अधिक** हो सकती है, लेकिन इस लागत का **कम-से-कम 75% खर्च मशीनरी/ उपकरण** पर होना चाहिए।
- **ऋण पुनर्भुगतान की शर्तें:**
  - **50 करोड़ रुपये तक के ऋण:** अधिकतम **8 वर्षों में पुनर्भुगतान** करना होगा। इसमें मूलधन के भुगतान पर **2 वर्ष की स्थगन अवधि (Moratorium)** भी शामिल है।
  - **50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण:** पुनर्भुगतान के लिए अधिक वर्ष और मूलधन भुगतान पर लंबी अवधि की स्थगन सुविधा पर विचार किया जा सकता है।
- **योजना अवधि:** परिचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी होने से **4 वर्ष अथवा जब तक कुल 7 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी नहीं** हो जाती।

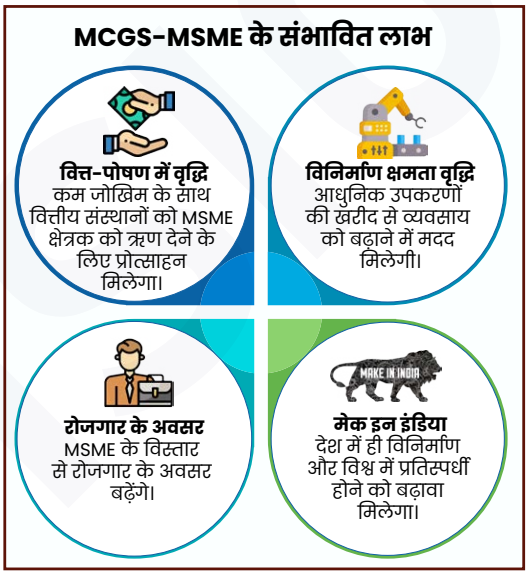

MSMEs के लिए ऋण लेना सरल बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE)** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को **बिना जमानत (कोलेटरल फ्री) ऋण** सुविधा उपलब्ध कराता है।
- **रेज़िंग एंड एक्सेलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस (RAMP) प्रोग्राम:** इसके तहत MSME क्षेत्रक के विकास के लिए **5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के निवेश** का लक्ष्य रखा गया है।
- **प्राथमिकता क्षेत्रक के लिए ऋण (PSL) मानदंड:** निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर MSME को दिए गए **सभी बैंक ऋण 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण श्रेणी' के तहत** माने जाते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने विविध राज्यों में आपदा शमन के लिए धनराशि को मंजूरी दी

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) ने **आपदाओं के शमन के लिए 3027.86 करोड़ रुपये मंजूर** किए हैं। यह धनराशि **राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) से तीन आपदाओं** के लिए स्वीकृत की गई है।

- इससे पहले **शहरी बाढ़ जोखिम शमन, GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) जोखिम प्रबंधन, भूस्खलन जोखिम शमन** जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए NDMF से वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई थी।

विविध आपदाओं से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **12 सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्यों को उत्प्रेरक सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना** आरंभ की गई है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि सहित 10 राज्यों में **बिजली गिरने की अधिक घटनाओं की आशंका वाले 50 जिलों में बिजली गिरने से सुरक्षा पर शमन परियोजना** शुरू की गई है।
- अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि सहित 19 राज्यों के उच्च प्राथमिकता वाले 144 जिलों में **वनाग्नि जोखिम प्रबंधन हेतु शमन योजना का कार्यान्वयन** किया जा रहा है।
  - **उद्देश्य:** देश में वनाग्नि प्रबंधन दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ताकि महत्वपूर्ण वनाग्नि रोकथाम और शमन गतिविधियों को मजबूत किया जा सके तथा उनका समर्थन किया जा सके।
  - **तंत्र:** राज्य वनाग्नि शमन, प्रतिक्रिया तैयारी तथा वनाग्नि के बाद आकलन और रिकवरी पर केंद्रित गतिविधियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) के बारे में

- **स्थापना:** इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2021 में स्थापित किया गया था।
- यह **राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन निधि (NDRMF) का हिस्सा है।** इसमें **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष** सहित भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध सभी निधियां शामिल हैं।
- राज्य स्तर पर, **सभी राज्यों (तेलंगाना को छोड़कर) ने राज्य आपदा शमन निधियों (SDMFs) को स्थापित** करना शुरू कर दिया है।
  - केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए SDMFs में केंद्र के हिस्से के रूप में **75% का योगदान** करती है। **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों** के लिए यह योगदान **90%** है।

सुप्रीम कोर्ट ने 6 शहरों में हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए **दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हाथ से मैला उठाने (Manual Scavenging) की कुप्रथा पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

- कोर्ट ने उपर्युक्त **6 शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों** (संबंधित शहर में उन्हें जिस भी नाम से पुकारा जाता है) को यह बताने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि **इस कुप्रथा को कब तक और कैसे समाप्त किया जाएगा।**
- इससे पहले, **डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ (2023)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चरणबद्ध तरीके से इस **कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश** दिए थे।

भारत में 'हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा' के बारे में

- **हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा क्या है:** "हाथ से मैला उठाने" से आशय **किसी व्यक्ति को अस्वच्छ शौचालय या शुष्क शौचालय में या खुले नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि पर मानव मल को हाथ से हटाने, उठाने या किसी भी तरीके से उसके निपटान के लिए नियोजित** करने से है।
- **विनियमन:** आधिकारिक रूप से **सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993** के तहत भारत में हाथ से मैला उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
  - बाद में **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013** के तहत हाथ से मैला उठाने की परिभाषा को व्यापक बनाया गया और इसमें शामिल लोगों के पुनर्वास का प्रावधान किया गया।
  - फिर भी, **उचित सीवेज प्रबंधन प्रणाली की कमी और रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध नहीं होने** के कारण यह कुप्रथा अब भी जारी है।
- **वर्तमान स्थिति:** 29 जनवरी, 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार देश के 775 **जिलों में से 456 जिलों में हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा समाप्त** हो चुकी है।
- **शामिल मुख्य मुद्दे**
  - **मानवीय संकट:** हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा **मौलिक मानवाधिकारों और व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन** करती है। इस कुप्रथा में शामिल सफाई कर्मियों को **गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों, विषाक्त गैसों और रोगजनक संक्रमणों** के खतरों का सामना करना पड़ता है।
  - **जातिगत भेदभाव:** इस कुप्रथा में शामिल **अधिकतर व्यक्ति दलित समुदाय** से आते हैं।
- **आवश्यक उपाय:**
  - सीवर की सफाई के लिए **रोबोट व मशीन जैसी तकनीकों का उपयोग** करना चाहिए।
  - प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए **कानूनों के कार्यान्वयन की सख्त निगरानी** की जानी चाहिए।
  - **सैनिटेशन अवसंरचना में सुधार** करना चाहिए।

हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- **भारत का संविधान:**
  - अनुच्छेद 14 में 'विधि के समक्ष समता' के मूल अधिकार की गारंटी दी गई है।
  - अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है।
  - अनुच्छेद 21 में 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण' के मूल अधिकार की गारंटी दी गई है।
- **कानूनी और अन्य प्रावधान:**
  - हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत हाथ से मैला उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- **योजनाएं:**
  - नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते/ NAMASTE) योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा में शामिल लोगों का पुनर्वास करना और उन्हें औपचारिक रोजगार प्रदान करना है।

अन्य सुर्खियां

अधिवास-आधारित आरक्षण (Domicile-based Reservation)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि **पीजी मेडिकल सीटों में अधिवास-आधारित आरक्षण असंवैधानिक होने के कारण अस्वीकार्य** है। ऐसा इस कारण, क्योंकि यह **संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन** करता है।

अधिवास-आधारित आरक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 16 (2):** इसके अनुसार 'कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।'
- **हालांकि अनुच्छेद 16(3),** संसद को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के तहत नियोजन के किसी वर्ग या वर्गों के संबंध में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास की शर्त लगाने वाला कोई भी कानून बनाने की अनुमति देता है।

ई-श्रम माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI)

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने ई-श्रम पहल के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI) लॉन्च किए हैं।

ई-श्रम माइक्रोसाइट्स के बारे में

- यह **राज्य-विशिष्ट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** हैं। इन्हें **राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत** किया गया है।
- **लाभ:**
  - **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए:** यह रेडी-टू यूज डिजिटल अवसंरचना, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।
  - **श्रमिकों के लिए:** वे आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं, ये कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, आदि।

ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI) के बारे में

- **उद्देश्य:** यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) पद्धति और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के डेटा का उपयोग करके **कार्यबल की मांग एवं उपलब्धता में मौजूद अंतर की पहचान** करेगा।
- **मुख्य कार्य:** उच्च मांग वाले क्षेत्रकों में नौकरी की कमी को ट्रैक करना, कार्यबल नियोजन और कौशल विकास का समर्थन करना इत्यादि।

पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (ECOWAS)

सेना द्वारा शासित तीन देशों **माली, बुर्किना फासो और नाइजर** ने कूटनीतिक तनाव के बाद आधिकारिक तौर पर **ECOWAS की सदस्यता** का त्याग कर दिया है।

ECOWAS के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी **स्थापना 1975** में हुई थी।
- **मुख्यालय:** इसका **मुख्यालय अबुजा (नाइजीरिया)** में स्थित है।
- **उद्देश्य:** इस संगठन का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
  - ECOWAS के सदस्य देशों के नागरिकों को **सभी सदस्य देशों के यहां रहने और कार्य करने का अधिकार** है। साथ ही, उन्हें वस्तुओं के मुक्त परिवहन का अधिकार भी दिया गया है।
- **सदस्य: 12** (उपर्युक्त तीनों देशों के निकलने के बाद)
  - **इसके वर्तमान सदस्य हैं-** बेनिन, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो।

सोलर फोटोवोल्टिक (PV) उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

हाल ही में, **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)** ने सोलर PV मॉड्यूल तथा इन्वर्टर की गुणवत्ता का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सोलर सिस्टम, डिवाइस और कंपोनेंट गुड्स आदेश, 2025 जारी किया है।

- यह आदेश **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) अधिनियम, 2016** के तहत जारी किया गया है।
- **BIS अधिनियम, 2016 में एक राष्ट्रीय मानक निकाय (BIS)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि गुड्स, आर्टिकल्स, प्रोसेस आदि के मानकीकरण तथा गुणवत्ता आश्वासन संबंधी गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास किया जा सके।

आदेश के मुख्य उपबंधों पर एक नजर:

- यह मौजूदा **सोलर फोटोवोल्टिक्स, सिस्टम, डिवाइस और कंपोनेंट गुड्स (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकताएं) आदेश, 2017 को संशोधित** करता है तथा उसकी जगह लेता है।
- **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)** लाइसेंस प्रदान करने और आदेश को लागू करने से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करेगा।

क्षुद्रग्रह बेन्नू

वैज्ञानिकों के अनुसार, बेन्नू क्षुद्रग्रह से प्राप्त नमूनों से जीवन के निर्माण खंडों का पता चला है।

क्षुद्रग्रह बेन्नू के बारे में

- बेन्नू एक **छोटा और पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह** है। यह **लगभग हर छह वर्ष में पृथ्वी के निकट से गुजरता है।**
- नासा ने अपने **OSIRIS-REx अंतरिक्ष यान** के ज़रिए रोबोटिक आर्म्स का उपयोग करके **2020** में इस क्षुद्रग्रह से नमूने एकत्र किए थे। इसे विश्लेषण के लिए **2023 में पृथ्वी पर वापस** लाया गया था।
- **निष्कर्ष:** जीवन-निर्माण के लिए आवश्यक यौगिक **अमीनो एसिड, न्यूक्लियोबेस और खनिज यह दर्शाते हैं कि कभी बेन्नू** पर पानी मौजूद था।
- यह संभवतः **700 मिलियन से 2 बिलियन वर्ष पहले** एक बहुत बड़े कार्बन-समृद्ध क्षुद्रग्रह से टूटकर अलग हुआ था।

तीस्ता नदी

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुख्य तीस्ता नदी पर स्थित **तीस्ता-III बांध के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी** दी है।

- हालांकि, इस परियोजना के **डिजाइन और स्थिरता के बारे में पूर्व में चिंताएं** व्यक्त की गई थीं।

तीस्ता नदी के बारे में

- **उद्गम:** यह **उत्तरी सिक्किम में त्सो ल्हामो झील** से निकलती है। यह भारत में **पश्चिम बंगाल और सिक्किम** से बहती हुई **बांग्लादेश** में प्रवेश करती है।
- **सहायक नदी:** यह **ब्रह्मपुत्र नदी की दाहिने तट की सहायक नदी** है।
  - **रंगीत नदी, तीस्ता की एक सहायक नदी** है।
- **अपवाह मार्ग: शिवालिक पहाड़ियों** से होकर दक्षिण की ओर बहती है, **सिवोक खोला दर्रे** से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बहती हुई **पश्चिम बंगाल में प्रवेश** करती है।
- **किसमें मिलती है:** मूल रूप से, यह सीधे **अपर पद्मा नदी (गंगा)** में मिल जाती थी।
  - हालांकि, **1787** के आसपास, इसने अपना मार्ग बदल लिया और **बांग्लादेश में पूर्व** की ओर बहती हुई **जमुना नदी से मिल** जाती है।

ग्वांतानामो बे

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्वांतानामो बे में माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया।

ग्वांतानामो बे के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **कैरेबियन सागर** के एक **इनलेट** का निर्माण करती है। यह **दक्षिण-पूर्वी क्यूबा** में स्थित है।
- **विशेषताएं:** यह एक बड़ी और अच्छी तरह से सुरक्षित **खाड़ी** है। इसमें बंदरगाह का **संकीर्ण प्रवेश द्वार** है और यह **बड़े जहाजों** को समायोजित करने में सक्षम है।
- **बंदरगाह: कैमानेरा** और **बोकेरोन** ग्वांतानामो शहर से जुड़े हुए हैं।
- **नौसेना स्टेशन ग्वांतानामो बे (NSGB): 1903** में स्थापित **ग्वांतानामो बे** संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना विदेशी सैन्य प्रतिष्ठान है।
  - क्यूबा के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के लीज़ अनुबंध के अनुसार, क्यूबा की संप्रभुता बरकरार रखते हुए यह अमेरिका का अधिकार-क्षेत्र बना रहेगा।

कुर्दिस्तान क्षेत्र

हाल ही में, **भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के निवासियों की सहायता के लिए मानवीय सहायता** भेजी।

कुर्दिस्तान क्षेत्र के बारे में

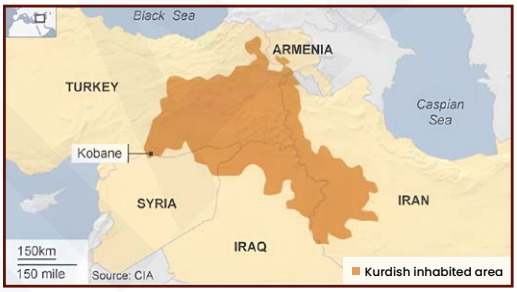

- कुर्दिस्तान एक **पहाड़ी क्षेत्र** है। इसमें **पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान** के भाग, तथा **उत्तरी सीरिया और आर्मेनिया** के कुछ क्षेत्र शामिल हैं।
- इस क्षेत्र में मुख्य रूप से **"कुर्द" नामक नृजातीय समूह** रहता है।
- यह **मध्य पूर्व का चौथा सबसे बड़ा नृजातीय समूह** है। इनकी अपनी **कोई राष्ट्रीयता नहीं** है।
- **प्रथम विश्व युद्ध के बाद सेव्रेस की संधि** के तहत, पश्चिमी देशों ने कुर्दों को उनकी **अपनी मातृभूमि (देश)** देने का वादा किया था।
- हालांकि, **1924 की लॉज़ेन की संधि** ने उनकी उम्मीदों को समाप्त कर दिया। इस संधि ने **कुर्द समुदाय को मध्य पूर्व के नवगठित अलग-अलग देशों में विभाजित** कर दिया।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

ओमान (राजधानी: मस्कट)

हाल ही में, भारत और ओमान ने कराधान पर अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **दोहरा कराधान परिहार समझौते (DTAA) में संशोधन** करने पर सहमति व्यक्त की।

ओमान के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - यह **फारस की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर अरब प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी तट पर** स्थित है।
  - यह दक्षिण-पश्चिम में **यमन**, दक्षिण व पूर्व में **अरब सागर**, उत्तर में **ओमान की खाड़ी**, उत्तर-पश्चिम में **संयुक्त अरब अमीरात** तथा पश्चिम में **सऊदी अरब** से घिरा हुआ है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **जलवायु:** तट पर गर्म व आर्द्र; आंतरिक भाग गर्म एवं शुष्क; तथा सुदूर दक्षिण में प्रबल दक्षिण-पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून (मई से सितम्बर तक)।
  - **तटीय मैदान:** लंबा व संकीर्ण तटीय मैदान ओमान की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसे **अल-बातिना** के नाम से जाना जाता है।
  - **रेगिस्तान: रूब अल-खली,** यह **सऊदी अरब और यमन** में भी फैला हुआ है।
  - **सबसे ऊंचा स्थान: माउंट शम्स** ("सन माउंटेन")।